एक्सपोजर ड्राफ्ट
Exposure Draft

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एसीटीएल/उत्पाद_विनियम/2023-24
Ref. No.: IRDAI/ACTL/Product_Regulation/2023-24 दिनांक / Date: 12.12.2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पाद) विनियम, 2023
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (Insurance Products) Regulations, 2023

आईआरडीएआई ने 29 जुलाई, 2022 के अपने आदेश के द्वारा परिषदों को निदेश दिया कि वे विनियमों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सिद्धांत-आधारित व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होते हुए व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और विनियमों को सरल बनाने के प्रयोजन के लिए सभी हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों से युक्त एक विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) गठित करें।
The IRDAI vide its order dated July 29, 2022 directed the Councils to constitute a Regulation Review Committee (RRC) comprising representatives from all stakeholder groups for the purpose of enhancing ease of doing business and simplifying regulations by moving towards principles based regime with a view to making them more effective.

इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों से प्रतिनिधियों को लेते हुए नौ उप-समूह बनाये गये। अतिरिक्त रूप से, जहाँ भी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषज्ञता आवश्यक समझी गई हो, वहाँ कुछ उप-समूहों में उद्योग के कार्यकारियों को आमंत्रित किया गया।
Further, nine sub-groups drawing representations from various stakeholders were formed. Additionally, industry executives were invited to some of the sub-groups wherever the need for specific domain expertise was deemed necessary.

उक्त आरआरसी ने निम्नलिखित विनियमों को निरस्त करने के बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पाद) विनियम, 2023 की सिफारिश की:
The RRC recommended Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Products) Regulations, 2023 after repealing the following regulations:

1. आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015;
   IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015;
2. आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015;
   IRDAI (Minimum Limits for Annuities and other benefits) Regulations, 2015;
3. आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015;
   IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid up values) Regulations, 2015;
4. आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016;
   IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016;
5. आईआरडीएआई (यूनिट सहबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019;
   IRDAI (Unit Linked Insurance Products) Regulations, 2019;
6. आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
   IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019

आरआरसी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तथा पालिसीधारकों के हितों का भी ध्यान रखते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पाद) विनियम, 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है और इसके साथ संलग्न किया गया है।

After considering the recommendations of the RRC and also keeping the interest of the policyholders, the draft on Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Products) Regulations, 2023 is prepared and annexed herewith.

प्रस्तावित विनियमों के प्रारूप का मुख्य उद्देश्य उभरती हुई बाजार आवश्यकताओं के प्रति अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए बीमाकर्ताओं को मदद देना, व्यवसाय करने की सुगमता का संवर्धन करना, बीमा व्यापन में सुधार लाना, उत्पादों का अभिकल्पन और मूल्य-निर्धारण करते समय अच्छे अभिशासन को अपनाने के लिए बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाने के द्वारा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना है। यह पालिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष उत्पादों सहित, बीमा उत्पादों के संबंध में प्रभावी निगरानी और पर्याप्त समुचित सावधानी हेतु सुदृढ़ और अनुक्रियाशील प्रबंध प्रथाओँ को सुनिश्चित करने के लिए भी बीमाकर्ताओं को समर्थ बनायेगा।
The main objective of the proposed draft regulations is to facilitate insurers to respond faster to the emerging market needs, to promote ease of doing business, to improve insurance penetration, to protect the policyholders interest by enabling insurers to adopt good governance while designing and pricing the products. It will also enable insurers to ensure sound and responsive management practices for effective oversight and adequate due diligence with regard to insurance products, including innovative products considering the interests of policyholders

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विनियमों (अनुबंध-क) पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, 03 जनवरी, 2024 को अपराह्न 5:00 बजे अथवा उससे पहले संलग्न फार्मेट (अनुबंध-ख) में actuarial-policy@irdai.gov.in को प्रेषित करें और उनकी एक प्रति urmi.jain@irdai.gov.in और narendra@irdai.gov.in को भी भेजें।
All the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations (Annexure-A) in the attached format (Annexure- B) on or before 5:00 PM on 03 January, 2023 to actuarial-policy@irdai.gov.in with a copy to urmi.jain@irdai.gov.in and narendra@irdai.gov.in.

****